कार्यालय, जिला पंचायत–धमतरी (छ.ग.)

–:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::–

क्रमांक / 2033 / जि.पं. / स्कू.शि0मद / 2019–20 धमतरी, दिनांक 22 –06–2020

लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक /भवन / 61 / बि.स.ब.ध. / 2019–20 / 830 नवा रायपुर दिनांक 01.02.2020 के द्वारा **स्कूल शिक्षा मद योजना अंतर्गत वर्ष 2019–20** में मैदान समतलीकरण एवं शेड निर्माण कार्य मानक प्राक्कलन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क. 2233 दिनांक 26.03.2020 के द्वारा प्राप्त आबंटन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी सारणी के कॉलम नं0 04 में दर्शित संबंधित ग्राम पंचायत होगी **तथा कार्य पूर्ण करने की समय सीमा तीन माह होगी।**

क0	शाला का नाम	कार्य का नाम	नगर पंचा. / ग्राम पंचा.	विकासखंड	मानक राशि लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति राशि लाख में	क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्व माध्यमिक शाला भेण्डरवानी	मैदान समतलीकरण	भेण्डरवानी	कुरूद	2.00	2.00	सरपंच ग्राम पंचायत भेण्डरवानी
2	पूर्व माध्यमिक शाला भेण्डरवानी	शेड निर्माण	भेण्डरवानी	कुरूद	2.32	2.32	
	योग				**4.32**	**4.32**	

प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तें:–

1. जिस प्रयोजन हेतु अनुदान दिया जा रहा है, उसका उपयोग भी उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा।
2. कार्य **तीन माह** के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र भेजने की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।
3. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जावेगा। प्राक्कलन के अनुरूप ही नियत अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाए एवं निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावें।
4. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी.एस.आर. के दर पर एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया जाए।
5. स्वीकृत कार्य यदि पहले से अन्य योजना / मद के तहत स्वीकृत / निर्मित हो तो इसकी जानकारी तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय, किसी प्रकार का विलंब न किया जावे।
6. निर्माण कार्य जिस शाला / स्थान हेतु स्वीकृत किया गया है, उसी जगह पर बनाया जावे। किसी भी परिस्थिति में जगह न बदला जावे।
7. कार्य की सतत् निगरानी रखी जाए एवं कार्य का मूल्यांकन नियमानुसार कराया जाए।
8. निर्माण कार्य में सूचना का अधिकार संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे एवं निर्माण कार्य का (सूचना फलक) बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाय, कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जावे।
9. कार्य प्रारंभ की सूचना एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायत भेजा जाए व प्रत्येक माह की 03 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी आवश्यक रूप से दी जावे।
10. क्रियान्वयन एजेंसी कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो।
11. **कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर पंचनामा, नक्शा, खसरा आदि समस्त अभिलेख तथा मानक प्राक्कलन, रेखाचित्र एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार पर ही कार्य प्रारंभ कराया जावें।**
12. स्वीकृत कार्यो में तीन स्तर पर फोटो प्राप्त किया जावे 1. ले आउट पर 2. कार्य प्रगति पर 3. कार्य पूर्णता पर, जिसमें निर्माण कार्य का (सूचना फलक) बोर्ड सहित फोटोग्राफ्स हो, जो कार्य पूर्णता के समय प्रस्तुत किया जावेगा।
13. कार्यो मे सामग्री क्रय की स्थिति में शासकीय क्रय नियम का अनिवार्यतः पालन किया जाये।
14. शासन द्वारा समय समय पर दिए गए नियमों व निर्देशों के पालन की शर्तो पर ही यह आदेश मान्य होगा।
15. स्थान का चयन युक्तियुक्त हो, जिससे निर्माण कार्य टिकाऊ होना चाहिए। गलत स्थान के चयन होने वाले क्षति का संपूर्ण दायित्व क्रियान्वयन एजेंसी पर होगा।

22/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

क्रमशः 02

पृ.कमांक/2034/जि.पं./स्कू0शि0मद/2019–20 धमतरी, दिनांक 22–06–2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, मान0 मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान0 मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र महासमुंद की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, कुरूद की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
9. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत धमतरी की ओर सूचनार्थ।
10. **जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ।**
11. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी को सूचनार्थ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकरी जनपद पंचायत कुरूद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कुरूद को सूचनार्थ।
14. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुरूद को सूचनार्थ।
15. **कियान्वयन एजेंसी, सरपंच ग्राम पंचायत. भेण्डरवानी जनपद पंचायत कुरूद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी